वित्तीय स्वीकृति

संख्या-68/2016/3260/52-3-16-बजट(21)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

विषयः-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में मदरसों के कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन मद के आय व्ययक में आयोजनेत्तर पक्ष में अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित □□□□□ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सबंध में। (आयोजनेन्तर)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-3580/□0□0□0□0-26/□□/□□0□□□ /2016-17, दिनांक 14.12.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/□□-1-746/□□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के प्रस्तर-2(8) में दी गयी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्यय में दिनांक 08.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों केा पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी के भुगतान हेतु प्राविधानित घनराशि रू0 55,00,000/- (रू0 पचपन लाख मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) पेंशन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के सापेक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों को देय पेंशनादि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त प्रयोजनार्थ कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि □□ विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 30.03.2017 तक उपलब्ध कराया □□□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य स प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सेवा निवृत्त सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 31.12.2016 तक देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्यूटी का भुगतान प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कर लिया □□□□□

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-48 □□ लेखाशीर्षक-2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभ-01-सिविल-109-राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को पेंशन-आयोजनेत्तर-03-पेंशन आदि का भुगतान-0302-दिनांक 08.11.2000 के बाद सेवानिवृत्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन/ परिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ के □□□□□□□ □□□□□□

3- यहा आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-3260(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, केस□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
□□□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in